ज़ायद बही नं० 4 13

जिलद—बाबत महकमा सब-रजिस्ट्रार

कीमत अशटाम्प नोट:—यह खाना इस किसम के नोटों के लिये भी इस्तेमाल हो सकते हैं जो मामूली किताब नं० 4 के खाना कैफियत में लिखे जाते हैं	नम्बर शुमार अन्दराज मुआमले केमालीयत और नोईयत और कीमत रजिस्ट्री व दीगर रसूम और तावान वसूल शुदा
	R. No. 109 वसीयत
बस्ताम जालीयती 2 किताब 2 जिल्द 363	मु० 4 R.F. 250.00 C.F. 2.00 Total 52.00

Sub Registrar Distt. Bilaspur

New Art Press JUC. 2074 Reg.

...chal Government Judicial Paper

...हत नामा

...पुत्र रणिया राम पुत्र शेर सिंह सकना
...न डा० खाना कोठी तहसील घुमारवीं
...(प्र०) मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं
...न्द एक शब्द अपने स्वतन्त्र विचार
...मेरे एक लड़का श्री रवीन्द्र सिंह व तीन
... देवी (2) कुमारी पुष्पा देवी (3) कुमारी
...मिति शान्ता देवी मौजूद है। मुकर ने
...कुन्तला देवी की शादी कर दी है।
...र दहेज भी दे दिया है। अब मेरी दो
...शादी करने को बकाया है। मैं व मेरा
... व कुमारी शीला देवी की शादियां कुछ
...र उनकी इच्छा के मुताबिक दहेज भी
... लड़के की शादी करूंगा।
...ला व गैर मनकूला जायदात को अपने लड़के की
...मति शान्ता देवी को बहिस्सा बराबर वसीहत
...न्द रोजा का कोई भरोसा न है।
...कूला गैर मनकूला मौजा लमन खास,
...घुमारवीं में कुछ जायदात खुद पैदा
...मुहालात का मालक व काबिज हूं सो मुकर
... व जौजा को देने का ख्वाह है। मुकर की
...मालियत की है लेकिन अगलब है के बाद
...की निसबत कोई सरकस तनाजा किसी
... मुकर व कायमी होश व हवास खमसा
... तरगीब गैर किसी किस्म जुमला
...की निसबत हसबजायल वसीहत करता
व लिख देता हूं। जब तक मुकर हयात है जुमला जायदात हर
किस्म का मालिक व काबिज रहूंगा / बाद

№ 1244688 1988 **Himachal Government Judicial Paper**

वसीहत नामा

मैं सदाराम पुत्र रणिया राम पुत्र शेर सिंह सकना टपून खास परगना टपून डा० खाना कोठी तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर (हि० प्र०) मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं अपनी वसीहत के चन्द एक शब्द अपने स्वतन्त्र विचार से लिखने जा रहा हूँ। मेरे एक लड़का श्री रविन्द्र सिंह व तीन लड़कियाँ (1) सकुन्तला देवी (2) कुमारी पुष्पा देवी (3) कुमारी शीला देवी व पत्नि श्रीमति ज्ञान देई मौजूद है। मुकर ने अपनी बड़ी लड़की सकुन्तला देवी की शादी कर दी है। उसकी इच्छा के अनुसार दहेज भी दे दिया है। अब मेरी दो पुत्रियाँ व एक पुत्र की शादी करने को बकाया है। मैं व मेरा लड़का कुमारी पुष्पा देवी व कुमारी शीला देवी की शादियां कुछ अर्से में कर देंगे और उनकी इच्छा के मुताबिक दहेज भी दे दूंगा। उसके उपरान्त लड़के की शादी करूंगा।

जुज 2: मैं अपनी मनकूला व गैर मनकूला जायदात को अपने लड़के श्री रविन्द्र सिंह व पत्नि श्रीमति ज्ञान देई को बहिस्सा बराबर वसीहत कर देता हूँ। जिन्दगी चन्द रोजा का कोई भरोसा न है। मुकर की जायदात मनकूला गैर मनकूला मौजा टपून खास, नौरा, सलौन मौंउल व घुमारवीं में कुछ जायदात खुद पैदा करदा है। इन उपरोक्त मुहालात का मालक व काबिज हूँ सो मुकर जायदात मजकूरा खुद पिसर व जौजा को देने का ख्वाह है। मुकर की जायदात मजकूरा मामुली मालियत की है लेकिन अगलब है के बाद वफात मुकर जायदात मुकर की निसबत कोई सरकस तनाजा किसी किस्म करें। इसलिए अब मुकर व कायमी होश व हवास खमसा खुद बिलाजबर व अकराह व तरगीब गैर किसी किस्म जुमला जायदात हर किस्म खुद की निसबत हस्बजायल वसीहत करता व लिख देता हूँ। जब तक मुकर हयात है जुमला जायदात हर किस्म का मालिक व काबिज रहूँगा। बाद

सदाराम [illegible]

18-6-90

बरवान मालीयती — 25-4 — रुपये
फिवात 2 — वरक हैं।
दस्त — 363 — है।

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)
18/6/90

18-6-90

वसीका [illegible] नामा हुआ [illegible] सा० [illegible]
हलका [illegible] तहसील [illegible]
जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश ने आज दिनांक 18-6-90
मुताबिक 28 [illegible] 1912 बरोज [illegible]
बवक्त 2-45 बजे दिन कार्यालय सब रजिस्ट्रार
सदर में बराये रजिस्ट्रेशन पेश किया।

पेश कर्ता

[illegible]

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)
18/6/90

[illegible]

№ 1244689 **Himachal Government Judicial Paper**

जुज उ० बाद वफात मुझर जुमला जयदात मनकुला व गैर मनकुला हर किस्म वाक्य मौजा जहाँ कहीं भी वाक्य है के श्री रविन्द्र सिंह पुत्र व श्रीमति शान देई पत्नि सदाराम सकना तकून खास परगना तकून डा० खाना कोठी तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर हि०प्र० बहिसा बराबर के मालकान व काबजान तसव्वर होंगे। किसी भी दिगर सक्स का कोई तालुक व वास्ता न होगा। अगर कोई जाली व फर्जी दस्तावेज पेश करे तो इसके मुकाबला में रद्द तसव्वर होगी।

वसीहत नामा हजा पर पूरा 2 अमल दरामन्द होगा। लिहाजा वसीहत नामा हजा लिख दिया के सनन्द रहे।

भानु राम ग्राम -
सनौर त० घुमारवीं
जिला बिलासपुर
गवाह नं० 1
[signature]

वकलम खुद
सदाराम चन्देल

कृष्ण दास ग्राम
मैहरन त० घुमारवी
जिला बिलासपुर
गवाह नं० 2
[signature]

नोट :- वसीहत नामा हजा में 363 शब्द हैं।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि वसीहत नामा हजा में कोई शब्द कटा-फटा व मसकूक न है।

सदाराम चन्देल

18-6-90

वसीका वसीयत नामा हुआ श्री सदा राम s/o रामेला

हरफ व हरुफ पढ़कर सुनाया व समझाया गया। जिसने इस वसीका के तमाम तहरीर व तकमील को सुन व समझकर सही तसलीम किया। इसकी शनाखत श्री ... रिखी राम ... तहसील ... करते हैं। जिनसे मैं स्वयं परिचित हूं। लिहाजा वसीका हजा तस्दीक किया जाता है दर्ज रजिस्टर होवे।

पेश कर्ता

सदाराम-चन्दिल

शनाखत कर्ता रिखी राम

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)
18/6/90

Registered as No. 109 in Book 3
Vol. 91 on page/pages 38 this 18
1990

557

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)
18/6/90